14.05 hrs.

Title: Need to simplify the application of Income Tax Act to encourage exports in Jamnagar, Gujarat.

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर): सभापति महोदय, गुजरात के जामनगर क्षेत्र में इन्कमटैक्स की धारा 80 एच.एच.सी. की मनमानी व्याख्या करने से जाम नगर के एक्सपोर्टस को बहुत सी परेशानी भुगतनी पड़ रही है।

धारा 80 एच.एच.सी. का अर्थ एक्सपोर्टों को सुविधा देने का है ताकि वे विदेशी एक्सचेंज कमाकर ग्लोबल मार्किट के सामने टिक सकें एवं देश के लिये फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें।

इसके बारे में जाम नगर (गुजरात) मेरे क्षेत्र का ' चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज' ने सरकार एवं चेयरमैन, सैंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सीज, नई दिल्ली को बहुत से पत्र लिखे। ' चैम्बर के प्रतिनिधियों के साथ मैं स्वयं दिल्ली में वित्त मंत्री को मिला तथा 4.6.2002 को मैमोरेंडम दिया। उस बात को भी एक डेढ़ महीना हो गया लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं गया।'

इसकी व्याख्या देश भर में एक जैसी होनी चाहिये और न ही जाम नगर के लिये एक प्रकार की एवं देश के अन्य भागों के लिये दूसरी व्याख्या।

अत: मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह स्वयं अपने हाथ में लेकर देखें एवं न्याय दिलावें।